ईयू की कार्य प्रणाली क्या है?

घरेलू नीतियों और रणनीतियों पर चलना

शिक्षा क्षेत्र के लिए ईयू का प्रमुख सिद्धांत राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं का पूरी तरह अनुसरण करना रहा है।

सेक्टर के अनुरूप दृष्टिकोण एवं तौर तरीके

पूरे एशिया में सेक्टर के आधार पर समर्थन का तरीका भारतीय शिक्षा जगत में भी अपनाया गया। इस तरीके से ईयू को एक सुस्पष्ट राष्ट्रीय सुधार कार्यक्रम को मजबूत करने में मदद मिली और परिणामों के आधार पर सेक्टर के लिए बजट तय किया जा सका।

सहायता का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना

सहायता के कुशल उपयोग के बारे में पेरिस घोषणा के सिद्धांतों का पालन ईयू शिक्षा जगत में कहीं पहले से करती आ रही है। ईयू का अनुदान अन्य विकास सहभागियों के तालमेल से चलता है।

नागरिक समाज को समर्थन

ईयू ने शिक्षा क्षेत्र में कार्यों के लिए गैर सरकारी संगठनों को चुना है ताकि सबसे कमजोर और वंचित समुदायों की जरूरतों को पूरा किया जा सके और विशेषज्ञ कार्यों के साथ सरकारी कार्यक्रमों में पूरक बना जा सके।

समानता को बढ़ावा देना

सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुँच बनाने के प्रयासों के साथ–साथ, ईयू समर्थित सरकारी कार्यक्रमों की प्राथमिकता लड़कियों की हिस्सेदारी बढ़ाना, और शिक्षा के दायरे में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बच्चों को लाने की रही है। लड़कियों का पंजीकरण बढ़ाने और लैंगिक समानता लाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं।

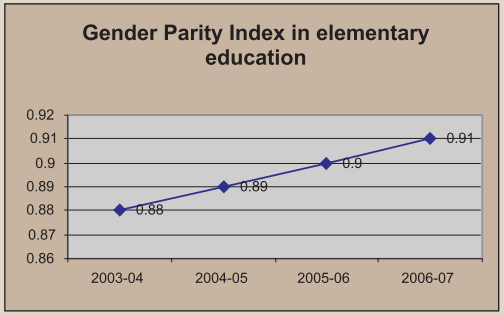

Source: Elementary Education in India. Analytical Report 2005-06 by NUEPA

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बच्चों के पंजीकरण में सुधार हुआ है तथा यह पंजीकरण उनकी जनसंख्या के स्तर तक पहुँच गया है। हाल के वर्षों में मुख्य जोर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बच्चों पर रहा है और स्कूलों में उनके पंजीकरण में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई जिससे सरकारी स्कूल शिक्षा में सामाजिक समानता को बहुत योगदान मिला है।

यूरोपीय संघ

भारत के लिए प्रतिनिधिमंडल
65 गोल्फ लिंक्स, 110003 नयी दिल्ली
फोनः +91–11–24629237, 24629238
फैक्सः +91–11–24629206
वेबसाइटः www.delind.ec.europa.eu

यूरोपीय संघ

भारत में स्कूली शिक्षा को ईयू का समर्थन

दूरदराज तक पहुँच

बुनियादी शिक्षा को समर्थन देने के लिए ईयू ने अभी तक जो प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं, वे इस प्रकार हैं :

ईयू एक दशक से भारत सरकार के शिक्षा सुधार कार्यक्रमों को समर्थन देती आ रही है। इन कार्यक्रमों का स्पष्ट और जाहिर प्रभाव यह है कि लाखों बच्चों को स्कूली शिक्षा के दायरे में लाया जा सका है।

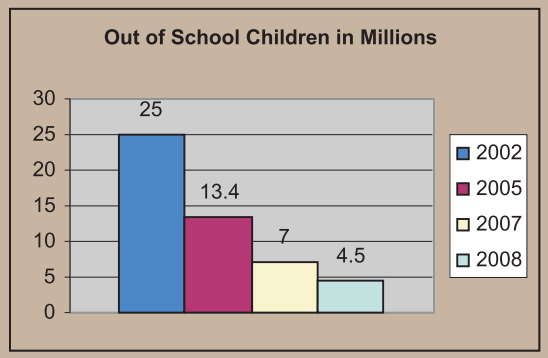

विभिन्न नवीन एवं लचीले तरीकों से **पहुँच का विस्तार** किया गया है और इनके अतिरिक्त नियमित स्कूल, वैकल्पिक स्कूल, शिक्षा गारंटी योजना केंद्र, स्कूलों–की–ओर–वापसी का शिविर और ब्रिज कोर्स शामिल किए गए हैं। वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रयास स्कूलों और गैर सरकारी संगठनों के स्तर पर किए गए। अभी तक इन प्रयासों से दूर रहे समुदायों और दूरदराज के क्षेत्रों तक शिक्षा अभियानों, लचीले शिक्षा प्रावधान एवं सामुदायिक हिस्सेदारी के माध्यम से पहुँच बनायी गयी।

अभी तक स्कूली शिक्षा के लिए ईयू का योगदान

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1993–2000) को समर्थन देने के लिए **15 करोड़ यूरो** का समर्थन।

सर्व शिक्षा अभियान

प्राथमिक शिक्षा के लिए (2002–08 और 2008–13) के लिए सर्व शिक्षा अभियान–प्रथम को **27 करोड़ यूरो** का समर्थन।

राज्य प्रायोजित कार्यक्रम

प्राथमिक और माध्यम शिक्षा (2006 से जारी) में राज्यविशेष संबंधी सुधार के लिए छत्तीसगढ़ को **3.2 करोड़ यूरो** का समर्थन।

नागरिक समाज की पहल

आगा खान प्रतिष्ठान (1998–2007) द्वारा लागू किये गए प्रोग्राम ऑफ एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लेवल एजूकेशन (पीईएसएलई) के लिए गैर सरकारी संगठनों को **1.1 करोड़ यूरो** का समर्थन।

बाल अधिकारों, शिक्षा के सार्वभौमिकरण और बाल श्रम उन्मूलन के लिए (2002 से जारी) गैर सरकारी संगठनों को **72 लाख यूरो** का समर्थन।

गुणवत्ता में सुधार

शुरूआती सफलताओं पर आगे बढ़ते हुए यूरोपीय संघ ने स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने के मुद्दे पर ध्यान दिया और सामुदायिक प्रयासों, शिक्षकों के प्रशिक्षण, कक्षाओं को बेहतर बनाने एवं शिक्षा का वातावरण सुधारने के लिए प्रयास किए।

पहुँच और गुणवत्ता के मुकाबले ये लक्ष्य कम ठोस और अधिक दूर भले लगते हों, लेकिन यह भी सच है कि सुधारों के प्रयास में क्वालिटी अब अधिक प्रमुखता और धुरी के रूप में सामने आयी है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए देशभर में अनेक पहल की गयी हैं। पढ़ाई में सुधार के कार्यक्रमों, पुस्तकालयों और एसएसए के तहत योजनाओं में नवीनता के जरिये कक्षाएं अधिक दिलचस्प हुई हैं। शिक्षा को अधिक रूचिकर बनाने और बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने में गैर सरकारी संगठनों का भी योगदान रहा है।